

नई दिल्ली, 14 मई, 2004

का. आ. 1245.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शहद उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहद उत्पाद निर्यात (क्वालिटी, नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) संशोधन नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शहद उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2002 में,—

(i) नियम 3 के उपनियम (क) में, "इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करेगी।" शब्दों के स्थान पर "इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करेगी ; या" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) नियम 7 में उपनियम (ब) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ब) अपील का निपटारा उसकी प्राप्ति से तीस दिन के भीतर किया जाएगा।"

[फा. सं. 6/3/2000-ई.आई एण्ड ईपी]

राज सिंह, निदेशक

टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 277(अ), तारीख 4 मार्च, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें अधिसूचना का.आ. 1444(अ), तारीख 19 दिसम्बर, 2003 द्वारा संशोधन किया गया था।

New Delhi, the 14th May, 2004

S.O. 1245.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Honey (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2002, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Export of Honey (Quality Control, Inspection and Monitoring) Amendment Rules, 2004.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export of Honey (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2002,—
- (i) In sub rule (a) of rule 3, for the words “the council shall issued necessary instruction in this regard.” The words “the council shall issue necessary instruction in this regard; or” shall be substituted;
 - (ii) in rule 7, for sub-rule (d) the following sub rule shall be substituted, namely:—
- “(d) The appeal shall be disposed of within thirty days of its receipt.”

[F. No. 6/3/2000-EI & EP]

RAJ SINGH, Director

Note:— The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii) *vide* S.O. 277(E) dated the 4th March 2002 and was subsequently amended *vide* notification S.O. No. 1444(E) dated 19th December, 2003.